

प्रार्थना पत्र दफ्तरे रजिस्टर किया गया।
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. सप्लिमेंट
चारा 151 CPC पेश कर न्यायालय में
विचारार्थी न वाद संख्या 29/2024 (497/22)
श्री गौरी कौशल 9.12.2024 को वाद अन्तर्गत
द्वारा 53, 188 राज. कारतकारी अधिनियम
बाबत, बेलगाड़ा एवं स्थान विवेचना
को पुनः देख्यो करने हेतु निवेदन किया।
उक्त प्रार्थना पत्र को देख्यो किये जाने हेतु
प्रतिवादीगत अधिवक्ता द्वारा सहमत जादिए
की गयी। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 09R9
सप्लिमेंट चारा 151 CPC को स्वीकार कर
मूल वाद को देख्यो कर नए नम्बर पर
दृष्टि करने के आदेश दिए जाते हैं पत्रावली
कौशल कुमार होकर दाखिल दफ्तरे हो